Agriculture University, Jodhpur

Jodhpur – 342304 (Rajasthan)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

जोधपुर – ३४२३०४ (राजस्थान)

Website: www.aujodhpur.ac.in Email: registraraujdp@gmail.com

Telefax : (O) 0291-2570710

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक एफ () कृविवि / जोध / स्थापना / ग्रुप I / 2023 / 3626-3636 दिनांक .08.2023 06/09/2023

–: आदेश :–

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 14652–14661 दिनांक 20.08.2022 के अधिक्रमण में कृषि महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने हेतु गठित कमेटी आदेश क्रमांक 428–434 दिनांक 02.02.2023 की अनुपालना में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर एवं तदोपरान्त माननीय कुलपति महोदय की अनुशंषा पश्चात् कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए कृषि महाविद्यालयों से निम्नानुसार शुल्क वसूल किये जाने के आदेश जारी किए जाते है।

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रूपये)
1.	आवेदन पत्र शुल्क राशि	5,000 (एक बार देय)
2.	पंजीकरण शुल्क राशि	50,000 (एक बार देय)
3.	निरीक्षण शुल्क राशि	3,00,000 + वर्तमान प्रचलित GST
4.	सम्बद्धता शुल्क राशि	9,00,000 + वर्तमान प्रचलित GST (प्रवेश क्षमता 60 सीट हेतु)
		12,00,000 + वर्तमान प्रचलित GST (प्रवेश क्षमता 120 सीट हेतु)

सम्बद्धता हेतु उक्त शुल्क, महाविद्यालय का जिस वर्ष पंजीयन होगा, उसी शैक्षणिक सत्र से लागू होगा तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष पूर्व सम्बद्धता शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यदि प्रथम वर्ष पश्चात् कोई कृषि महाविद्यालय द्वितीय या आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बढ़ी हुई सीटों (अर्थात् 60 सीट से 120 सीट) पर सम्बद्धता प्राप्त करना चाहता है, तो सम्बद्धता शुल्क की गणना सम्बद्धता नियमों के बिन्दु संख्या 2 (viii) व (ix) के अनुसार की जायेगी। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में अंतिम गणना की हुई सम्बद्धता शुल्क की राशि पर GST की वर्तमान प्रचलित दर पर GST देय होगा। सम्बद्धता प्राप्त कृषि महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय को **शास्ति निर्धारित / सम्बद्धता निरस्त** किए जाने का अधिकार होगा। साथ ही सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय का अधिकार सर्वोच्च रहेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, पंत, कृषि भवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त निदेशकगण, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. वित्त नियंत्रक / परीक्षा नियंत्रक / अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. सहायक कुलसचिव, कुलसचिव कार्यालय को आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में अनुमोदन हेतु।
7. वेबसाइट ईन्चार्ज, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त आदेश को वेबसाइट पर संबंधित सेक्शन में अपलोड करें / करावे।
8. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव